

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023**

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION, UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.05.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF ORDER DATED 24.04.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 07.07.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	COPIES OF LETTER DATED 20.06.2025 AND 04.09.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	COPIES OF LETTER DATED 04.09.2025 AND 15.09.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	COPY OF ORDER DATED 16.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	COPIES OF THE LETTER DATED 18.09.2025, THE APPROVAL DATED 19.09.2025 AND THE PROPOSAL DATED 19.09.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-6	

THROUGH COUNSEL




BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-6375115224

Date: 24.09.2025

Place: Noida




BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023



IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT(s)



VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENT(s)

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF
CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION,
UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
22.05.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Sanjio Kumar, aged about 56 years, S/o Shri Lala Yogesh Chandra Verma,
posted as Chief Conservator of Forests, Wildlife, Western Region, Uttar
Pradesh, Kanpur, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with
the facts of the case and am competent and authorized to swear the present
affidavit.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

23 SEP 2025

2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the present Original Application pertains to the proposed expansion of the Soor Sarovar Birds Sanctuary, Agra, involving three pieces of land measuring 403.09 hectares, 380.558 hectares, and 15.415 hectares. The final notifications under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, have been issued in respect of the first two areas, while the notification for the third area is currently under process.

4. That, in the present matter, this Hon'ble Tribunal vide order dated 22.05.2025 directed the answering respondent to file an affidavit updating the progress of the proposed expansion of the Soor Sarovar Birds Sanctuary, Keetham, Agra, with regards to the third area, for which the final notification is yet to be issued. The relevant part of the order is reproduced herein for perusal:

"...2. The Chief Conservator of Forest and Wildlife, Western Region, Kanpur, U.P has filed a fresh affidavit dated 21.05.2025 disclosing the

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

23 SEP 2025

following timelines for completing the proceedings and issuing the final notification under Section 26A of the Wildlife Protection Act, 1972:....

3. Mr. Aravind Bangari District Magistrate, Agra and Mr. N. Ravindra Chief Conservator of Forest, Kanpur, U.P appearing virtually have undertaken that this timeline will be adhered to and the proceedings will be completed within the timeline noted above.

4. Hence, we require the District Magistrate and the Chief Conservator of Forest to file the progress report in the form of affidavit at least one week before the next date of hearing indicating the action which has been completed in pursuance of the above timeline.

5. List on 25.09.2025....”

II. ACTIONS UNDERTAKEN PURSUANT TO THE HON'BLE TRIBUNAL'S ORDER

i. Proclamation by District Magistrate under Section 21:

5. That the District Magistrate, Agra, issued proclamation dated 24.04.2025, in exercise of powers under Section 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of Government land admeasuring 14.5025 hectares situated in village Runkata and Chauma Farah, Tehsil Kirawali, District Agra, declaring its inclusion as part of the Soor Sarovar Bird Sanctuary. The proclamation

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

23 SEP 2025

also invited objections, if any, regarding proprietary rights, boundary, or nature of land within two months of publication, failing which the process under Sections 19 to 26 of the Act would follow.

A Copy of order dated 24.04.2025 is annexed herewith and marked as

Annexure-1.

Report by Sub-Divisional Magistrate under Section 22

6. That, in furtherance of the proclamation order by the District Magistrate, and since no objections or claims were received within the two-months period, the SDM, Kirawali, Agra, issued letter no. 2996/ST dated 07.07.2025 recommending initiation of proceedings under Section 22 of the Act for taking further action with respect to the inclusion of said 14.5025 hectares of land in the Soor Sarovar Bird Sanctuary.


A Copy of the letter dated 07.07.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2.**

iii. Objection by Irrigation Department

7. That, in regard to the proclamation mentioned in the paras hereinabove, the Executive Engineer, Lower Division, Agra Canal, vide letter dated 20.06.2025, highlighted that the Keetham escape, Keetham Lake, and Keetham sluice are part of the Agra Canal system, and that any transfer of the land would require consent of the Irrigation Department. This

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Kal/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

A



communication was forwarded by the ADM (Administration), Agra, to the Forest Department on 30.08.2025, pursuant to which the Deputy Conservator of Forests submitted a report/representation vide letter No. 620/10-1 dated 04.09.2025 to the DM, Agra.

Copy of the letter dated 20.06.2025 and 04.09.2025 have been annexed

herewith and marked collectively as Annexure-3.

Initiation of Proceedings under Sections 24 and 25

8. That on the basis of the above, DM, Agra vide letter dated 04.09.2025, directed that the matter be processed further under Sections 24 and 25 of the Act, and accordingly the SDM, Kirawali, vide letter no. 3774/ST dated 15.09.2025 furnished a report clarifying that as per the records, the proposed 14.5025 hectares land is under the ownership of Government; and recommended for taking further action under Section 24 and Section 25 of the Act.

Copies of letter dated 04.09.2025 and 15.09.2025 are annexed herewith and collectively marked as Annexure-4.

9. That subsequently, the District Magistrate, Agra, vide order dated 16.09.2025, exercised proclamation powers under Section 24(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with respect to the aforesaid 14.5025 hectares of land as forming part of the Soor Sarovar Bird Sanctuary.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31/89/09

23 SEP 2025

Copy of order dated 16.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-5.**

10. That the District Government Counsel (Revenue), Agra, upon examination of the matter, vide letter dated 18.09.2025, intimated that it would be appropriate for the proposal relating to the transfer of 14.5025 hectares of land of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra, under Sections 24 and 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, to be submitted to the Government for approval at the level of the District Magistrate, Agra. In pursuance thereof, the District Magistrate, Agra, finalised a proposal dated 19.09.2025 under Sections 24 and 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, for the transfer of the government land in the name of Soor Sarovar Bird Sanctuary. Thereafter, the proposal was forwarded to the Government by the Deputy Conservator of Forests, vide letter dated 19.09.2025

Copies of the letter dated 18.09.2025 and proposal dated 19.09.2025 are annexed herewith and collectively marked as **Annexure-6.**

11. That it is respectfully submitted that the deponent has adhered to the timelines mentioned in paragraph 6 of the previous affidavit dated 21.05.2025 (*kindly refer to Judicial Page No. 421*). It is further submitted that the next milestone, namely the review of field books, maps, records, surveys, and preparation of the proposal for submission to higher authorities for notification of the said land under Section 26A of the Act, shall be


SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Kal/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09


12 3 SEP 2025

completed in accordance with the timeline indicated in the aforementioned affidavit, i.e., by 17.01.2026.

12.Hence, the present reply is submitted to place on record the factual position with respect to compliance of statutory procedure under the Wildlife (Protection) Act, 1972, for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

13.That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT


SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Garj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09
23 SEP 2025

VERIFICATION

Verified at Lucknow^{up} on this 23 day of September 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

SW
DEPONENT



Swornly affirmed before my office today
at 12:30 PM by Sanjio Kumar
who is identified by Self
Clerk to Shri. Self
I have satisfied myself by examining the
deponent that he understands the contents
of this affidavit which has been read out and
explained by me.

[Signature]
23/9/2025
SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka'14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

23 SEP 2025

510 ANNEXURE-1

सार्वजनिक सूचना।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत उदघोषणा

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 4 की विज्ञप्ति संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके क्षेत्रफल 14.5025 हे० में फैली सरकारी भूमि जिसकी सीमाएं एवं क्षेत्र नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, को सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित करने की घोषणा की गयी है।

अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 (सहपठित धारा-19) के अन्तर्गत उदघोषणा जारी की जाती है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है या किसी का कोई स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो उदघोषणा प्रकाशित होने की तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकार अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत कराये अन्यथा माना जायेगा कि किसी को कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात् वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-19 से 26 तक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन की उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 27-12-2024 के बाद उदघोषित क्षेत्र के अन्दर उत्तराधिकार, इच्छा पत्र (वसीयत शुदा) या बिना इच्छा पत्र (गैर वसीयत शुदा) स्वत्वों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार सृजित नहीं होगा।

अनुसूची

सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में सम्मिलित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है:-

वन खण्ड- 1

उत्तर - ग्राम सीगना की यमुना नदी

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 03

दक्षिण- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 04

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 610, 611 एवं 612

वन खण्ड- 2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या- 101

पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या - 103

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या- 79 व 80

वन खण्ड- 3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 18

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 29, 30 और 76

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा संख्या- 17

क्षेत्र

सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में सम्मिलित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वन खण्ड- 1

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
	कुल योग	0.949 हे०

कमशः.....2

वन खण्ड- 2

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०

वन खण्ड- 3

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रुनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रुनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रुनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।

पत्रांक- 2126 /10-1 आगरा

दिनांक, 24 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वृहद प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
3. उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा।
4. खण्ड विकास, अधिकारी अछनेरा, आगरा।
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना वृहद प्रचार-प्रसार तथा कम से कम 02 प्रमुख स्थानीय दैनिक अखबारों में प्रकाशित करायें।


जिलाधिकारी,
आगरा।



कार्यालय उप जिलाधिकारी, किरावली आगरा

Office of Sub District Magistrate, Kirauli, Agra

संख्या 299/एस0टी0

दिनांक 07 जुलाई, 2025

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित औ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
आगरा।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक संबंध में अवगत कराना है कि उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा द्वारा महोदय को सम्बोधित एवं अन्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित पत्र संख्या-15/10-1 दिनांक 01.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के बिन्दु सं० 4 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदय आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 को एक बैठक आहूत की गयी। सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अंतिम अधिसूचना के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दाखिल टाइम लाइन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 2 कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिये गये हैं तथा टाइम लाइन के बिन्दु संख्या- 01 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए टाइम लाइन के बिन्दु सं० 02 में वर्णित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 कार्यवाही की जानी है एवं उपरोक्त के आलोक में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 आच्छादित टाइमलाइन को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराते हुए क्षेत्रफल 14.502580 NZA राजकीय भूमि को सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा, के नाम हस्तांतरित कराने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, आगरा/कलेक्टर, आगरा महोदय को प्रेषित कराने की प्रार्थना की है।

उक्त के संबंध में तहसीलदार, किरावली को जाँच कर आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में लेखपाल, चौमा फरह, राजस्व निरीक्षक, रूकनता, वनदरोगा, सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा, नायब तहसीलदार, अछनेरा, आगरा एवं तहसीलदार किरावली ने अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.07.2025 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 से दो माह तक का समय दिनांक 24.06.2025 को पूर्ण हो चुका है। उक्त अवधि में किसी रजिस्ट्रार क्लर्क (आर०सी०) तहसील किरावली जिला आगरा की आख्यानुसार कोई भी आपत्ति एवं किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार सम्बन्धी दावा तहसील स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-22 के तहत सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कीठम आगरा में सम्मिलित भूमि 14.5025हे० पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की है।

अतः लेखपाल, चौमा फरह, राजस्व निरीक्षक, रूकनता, वनदरोगा, सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा, नायब तहसीलदार, अछनेरा, आगरा एवं तहसीलदार किरावली ने अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.07.2025 मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। संलग्नगनःउपरोक्तानुसार। (मूल में)

उप जिलाधिकारी, किरावली,
आगरा।

संख्या व दिनांक: तद

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा को उनके पत्र दिनांक 01.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ।

उप जिलाधिकारी, किरावली,
आगरा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा

पत्रांक :- 2636 / लोअर / कीठम /

दिनांक : 20/6/25

विषय :- जिलाधिकारी, महोदय, आगरा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 01.05.2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर शिक्षा में उल्लिखित सरकारी भूमि को सूर सरोवर अभ्यारण में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अंगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 01.05.2025 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत उदघोषणा की गयी है कि

'सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 की विज्ञापित संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 22.12.2024 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके क्षेत्रफल 14.5025 हे० में फैली सरकारी भूमि जिसकी सीमाएँ एवं क्षेत्र नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण के क्षेत्र में सम्मिलित करने की घोषणा की गयी है।


अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 (सहपठित धारा-19) के अन्तर्गत उदघोषणा जारी की जाती है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है या किसी का कोई स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो उदघोषणा प्रकाशित होने की तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकार अधोहरताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करायें अन्यथा यह माना जायेगा कि किसी को कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-19 से 26 तक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन की उपरोक्त विज्ञापित दिनांक 27-12-2024 के बाद उदघोषित क्षेत्र के अन्दर उत्तराधिकार, इच्छा पत्र (वसीयत शुदा) या बिना इच्छा पत्र (गैर वसीयत शुदा) स्वत्वों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण में सम्मिलित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	गाटा संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हे०टे० में
1.	04	रूनफता	0.350
2.	01	रूनफता	0.599
3.	18	रूनफता	0.0675
4.	99	घौगा फरह	0.691
5.	101	घौगा फरह	12.795
कुल योग.			14.5025

आगरा-पेज 2 पर



Krad
21/6/25
HANCE/LK

सहायक अभियन्ता-प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा द्वारा अपने पत्रांक:-837/दिनांक 17.06.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार विज्ञप्ति में उल्लिखित सरकारी भूमि में सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	गाटा संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल है० में	भूमि स्वामी का नाम
1.	04	रूनकता	0.350	बन्ध रकप मिलकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
2.	01	रूनकता	0.599	गन्दी नाला मिलकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
3.	99	घौमा फरह	0.691	राजगाह निकास पानी मिलकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
5.	101	घौमा फरह	12.795	बन्ध रकप मिलकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
	कुल योग		14.4350	कुल क्षेत्रफल 92.2920 है०

अवगत कराना है कि आगरा मुख्य नहर की टेल (कि०मी० 160.00) से निकलने वाली कीठम स्केप से जल सूर सरोवर पक्षी विहार के अन्तर्गत निर्मित कीठम झील के माध्यम से होते हुये यमुना नदी में जाता है। आगरा नहर प्रणाली की सुरक्षा हेतु कीठम स्केप, कीठम झील एवं कीठम स्लूयस का स्वामित्व सिंचाई विभाग का होना अत्यन्त आवश्यक है।


उक्त प्रकरण में भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग की सहमति के उपरान्त ही होना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में उपरोक्त आवश्यकताओं के दृष्टिगत ही अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्त गाटाओं की खतौनियाँ एवं विज्ञप्ति।



अधिसासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर,
आगरा



कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रो

प्रदेश आगरा

पत्रांक 620 / 10-1

आगरा, दिनांक: शितम्बर 04, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ0ए0सं0 529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

1- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा का अपर जिलाधिकारी आगरा को प्रेषित पत्रांक 2636/लोअर/कीठम/ दिनांक 20-06-2025
2- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा का पत्रांक 3580/लोअर/कीठम/ दिनांक 30-08-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा को प्रेषित पत्रांक 2636/लोअर/कीठम/ दिनांक 20-06-2025 किया गया है, जिसका विषय 'जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 01-05-2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर विज्ञापित में उल्लिखित सरकारी भूमि को सूर सरोवर अन्यायपूर्ण में सम्मिलित करने से सम्बन्धित है' तथा अपर जिलाधिकारी कार्यालय से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30-08-2025 को अंकित कर प्रेषित किया गया (संलग्नक-1)


अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 3580/लोअर/कीठम/ दिनांक 30-08-2025 (संलग्नक-2) द्वारा उक्त विषयक पत्र इस कार्यालय को भी प्रेषित किया गया। उक्त पत्र की आख्या हेतु वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त की गयी आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दाखिल आई0ए0 संख्या 196157, 196158, एवं 196159 के क्रम में CEC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या-17/2021 के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं-

REPORT NO. 17/2021 (I.A. NOS. 196157-196159/2019)-

"Since the report of CEC are accepted without any objection, I.A. Nos. 51269/2017, 132820/2020, 44266/2022 and I.A. Nos. 196157-196159/2019 stand disposed of." (संलग्नक-3)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 में उल्लिखित CEC की रिपोर्ट सं0 17/2021 का पैरा 21 निम्नवत् है- (संलग्नक-4)

"21. Keeping in the view the facts and discussion in the preceding paragraphs, it is recommended for consideration of this Hon'ble Court that the Eco Sensitive Zone Notification



0.10.2019 issued by the MoEF&CC may not be Interfered with and this Hon'ble Court may direct the State Of Uttar Pradesh to

- i) Notify 403.09 ha of Soor Sarovar bird Sanctuary (SSBS) under section 26(a) for the Wildlife (Protection) Act, 1972 after describing the limits of the area which shall be comprised with the Sanctuary in terms of survey number of the lands comprised within the SSBS and describe the boundary in terms of boundary pillars on east, west, south and north of the proposed Soor Sarovar Bird Sanctuary along with their forward and Backward bearing within a period of two months from the date of order of this Hon'ble Court.
- ii) Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558 ha and 15.514 ha of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under section 18 to 25 of the wild life (Protection) Act, 1972."

2- मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-529/2023 (डॉ० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के धारा-18 की अधिसूचना की गई है। (संलग्नक-5)

3- सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्नवत् है-

वन खण्ड- 1

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
4	रुनकता	0.350
1	रुनकता	0.599
कुल योग		0.949 हे०

वन खण्ड- 2

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चीमा फरह	0.691
101	चीमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०



वन खण्ड- 3

पाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रुनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०


क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रुनकता	0.949
2	चीमा फरह	13.488
3	रुनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

4- सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-529/2023 (डॉ० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

"2. The Chief Conservator of Forest and Wildlife, Western Region, Kanpur, U.P has filed a fresh affidavit dated 21.05.2025 disclosing the following timelines for completing the proceedings and issuing the final notification under Section 26A of the Wildlife Protection Act, 1972:-

S. No.	Date Range	Details of Proceedings.
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area



4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 to 31.01.2026	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow
6.	01.02.2026 to 01.05.2026	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.


3. Mr. Aravind Bangari District Magistrate, Agra and Mr. N. Ravindra Chief Conservator of Forest, Kanpur, U.P appearing virtually have undertaken that this timeline will be adhered to and the proceedings will be completed within the timeline noted above.

4. Hence, we require the District Magistrate and the Chief Conservator of Forest to file the progress report in the form of affidavit at least one week before the next date of hearing indicating the action which has been completed in pursuance of the above timeline." (संलग्नक-6)

4- उपर्युक्त सरकारी भूमि हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 के अर्न्तगत आपके द्वारा गयी उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 में वर्णित है कि, "यदि किसी को कोई आपत्ति है या किसी का कोई स्वत्व अधिकारी (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवहार अन्तर्निहित हो तो उद्घोषणा प्रकाशित होने की तिथि से दो माह अवधि में क्षतिपूर्ति/ अधिकार अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत अन्यथा माना जाएगा की किसी को कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात् वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-19 से 26 तक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।" (संलग्नक-7)

5- सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण एवं ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग आगरा को सूचित किया गया है तथा उनके द्वारा उक्त बैठकों में प्रतिभाग करते हुए उक्त के सम्बन्ध में आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है। (संलग्नक-8)

6- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 22 की अग्रिम कार्यवाही हेतु उपजिलाधिकारी किरावली पत्र संख्या 2996/एस0टी0 दिनांक 07.07.2025 द्वारा आख्या प्रस्तुत की है- "उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार किरावली को जांच कर आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में लेखपाल घौमाफरह, राजस्व निरीक्षक रुनकता, वनदरोगा सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा, नायब तहसीलदार अछनेर आगरा एवं तहसीलदार किरावली ने अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.07.2025 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 के अर्न्तगत उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 से दो माह तक का समय दिनांक 24.06.2025 को पूर्ण हो चुका है। उक्त अवधि में किसी रजिस्ट्रार क्लर्क तहसील किरावली जिला आगरा की आख्यानुसार कोई भी आपत्ति एवं किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार सम्बन्धी दावा तहसील स्तर पर



नहीं किया गया है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 22 के तहत सूरसरोवर पक्षी अभयारण्य कीठम आगरा में सम्मिलित भूमि 14.5026 हे० पर अग्रेस्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की है। (संलग्नक-9)

7- इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित झील से मथुरा रिफाइनरी को विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है, इस सम्बन्ध में जारी NBWL की अनुमति में भी झील का जल स्तर प्रतिवर्ष नवम्बर से मार्च तक प्रवासी पक्षियों को अनुकूल रखने का उल्लेख है। कीठम झील (सूरसरोवर) का जल स्तर वर्ष पर्यन्त 10 फिट रखे जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18-04-2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं० 2 में वर्णित है कि 'उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय घोबल सैक्युरी प्रोजेक्ट उ०प्र० आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06-02-2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया जिसमें मथुरा रिफाइनरी, सिंचाई विभाग एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी सूरसरोवर पक्षी विहार की उपस्थिति में यह सहमति यनी थी कि 'प्रत्येक वर्ष प्रवासी पक्षियों के प्रवास की अवधि (नवम्बर-फरवरी तक) झील का स्तर 10 से 19 फिट के बीच रखा जाएगा तथा इस हेतु रिफाइनरी प्रबन्धन सिंचाई विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजेगा।' वर्तमान में भी सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित स्लूस्कोट का संचालन एवं रख रखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है जिसका उपयोग मथुरा रिफाइनरी को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने तथा प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत झील के जल स्तर को उचित बनाये रखने में किया जाता है। (संलग्नक-10)

8- इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उ०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या 764/14-3-49/90 लखनऊ दिनांक 27-03-1991 द्वारा सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे० को वन्य जीव विहार के रूप में घोषित किया गया है, तथा तत्समय से उपरोक्त क्षेत्र का प्रबन्धन वन्य जीव विहार के रूप में किया जा रहा है। सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे० के पैमाइश के दौरान निकली अतिरिक्त सरकारी भूमि 15.415 हे०, जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 14.5025 हे० पाया गया है, का प्रबन्धन भी सन् 1991 से पक्षी विहार के रूप में हो रहा है। वर्तमान में यह रामसर साइट के रूप में चिह्नित है तथा जनपद आगरा का एक महत्वपूर्ण गौरव है। सूर सरोवर पक्षी विहार सेन्ट्रल एशियन पलाईवे का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी अपना डेरा डालते हैं। (संलग्नक-11)

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार के सीमा सुव्यवस्थिकरण के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दाखिल आई०ए० संख्या 196157, 196158, एवं 196159 के क्रम में CEC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या-17/2021 के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-09-2022 के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-529/2023 (डॉ० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 के क्रम में दाखिल टाइमलाइन का समयबद्ध अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है, जिससे मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-09-2022 तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 22-05-2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।



साथ ही आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त गूगि 14.5026 हे० का सन् 1358 फसली में Possession (कब्जा) व 1369 फसली के अगिलेख गी अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है।
(संलग्नक-12)

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सावर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(घोंदनी सिंह)


उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सँवधुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक:- /10-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(घोंदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सँवधुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।



कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय डबल सैक्युरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश आगरा

पत्रांक 621 / 10-1

आगरा, दिनांक: सितम्बर 04, 2025

सेवा में,

ANNEXURE -4

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
आगरा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ0ए0सं0 529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

- संदर्भ:-
- 1-उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा कार्यालय का पत्रांक 2996/एस0टी0 दिनांक 07-07-2025
 - 2-अधिसासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, का पत्र सं0 3580/लोअर/कीठम/दिनांक 30-08-2025
 - 3-इस कार्यालय का पत्रांक 620/10-1 दिनांक 04-09-2025

महोदय,

उप जिलाधिकारी, किरावली आगरा के उपरोक्त संदर्भित पत्र 2996/एस0टी0 दिनांक 07-07-2025 (संलग्नक-1) के क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के बिन्दु सं0 4 के अनुपालन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18-06-2025 को एक बैठक आहूत की गयी।

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की अंतिम अधिसूचना के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल टाइम लाइन में अंकित बिन्दु संख्या 01 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए टाइम लाइन के बिन्दु सं0 02 में वर्णित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 व 25 कार्यवाही की जानी है एवं उपरोक्त के आलोक में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 आच्छादित टाइमलाइन को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराते हुए क्षेत्रफल 14.502580 NZA राजकीय भूमि को सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के नाम हस्तांतरित कराने हेतु प्रस्ताव आपके कार्यालय को प्रेषित करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, किरावली की जांच कर आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में लेखपाल, चौमाफरह, राजस्व निरीक्षक, रूनकता, वनदरोगा, सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा नायब तसीलदार, अछनेरा, आगरा एवं तहसीलदार किरावली ने अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07-07-2025 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 (संलग्नक-2) के अर्न्तगत उद्घोषणा दिनांक 24-04-2025 से दो माह तक का समय दिनांक 24-06-2025 को पूर्ण हो चुका है। उक्त अवधि में किसी रजिस्ट्रार क्लर्क (आर0सी0) तहसील किरावली जिला आगरा की आख्यानुसार कोई भी आपत्ति एवं किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार सम्बन्धी दावा तहसील स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके उपरान्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा -22 की जांच हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2 के तहत सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीटम आगरा में सम्मिलित भूमि 14.5025 हे० का विवरण निम्न प्रकार है (संलग्नक-3)

वन खण्ड- 1

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रुनकता	0.350
01	रुनकता	0.599
कुल योग		0.949 हे०

वन खण्ड- 2

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०

वन खण्ड- 3

गाटा संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रुनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रुनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रुनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

उक्त भूमि 14.5025 हे० के अंतर्गत ग्राम रुनकता की गाटा संख्या 18, रकबा 0.0675 हे०, जो कि सर्विस रोड के नाम से दर्ज है, को छोड़कर अन्य भूमि कुल 14.435 हे० है। 14.435 हे० भूमि के अंतर्गत ग्राम रुनकता की गाटा संख्या 4 बंध स्केप के रूप में दर्ज है, ग्राम रुनकता की गाटा संख्या 1 गंदी नाला के रूप में दर्ज है, ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या 101 बंध स्केप के रूप में दर्ज है तथा ग्राम चौमा फरह की गाटा संख्या 99 रजवाह निकास पानी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि 14.435 हे० के अंतर्गत चारों गाटा सं० 101, 99, 4 व 01 का नाम मुहाल मिलिकीयत सरकार है।

उपरोक्त के आलोक में अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा को प्रेषित पत्रांक 2636/लोअर/कीटम/ दिनांक 20-06-2025 जिसका विषय "जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 01-05-2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर विज्ञप्ति में उल्लिखित सरकारी भूमि को सूर सरोवर अभ्यारण्य में सम्मिलित करने से सम्बन्धित है," तथा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्वल सैक्युरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा को अकित कर दिनांक 30-08-2025 को प्रेषित किया गया (संलग्नक-4)। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अधिशासी

अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, **523** द्वारा उक्त विषयक सम्बन्धित पत्र सं० 3580/लोअर/कीठम/दिनांक 30-08-2025(संलग्नक-5) द्वारा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा को प्रेषित किया। उक्त के क्रम में वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा को नियमानुसार उपरोक्त के क्रम में आख्या यथाशीघ्र उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा के पत्रांक 620/10-1दिनांक 04-09-2025 (संलग्नक-6) द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित आख्या प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा द्वारा उक्त भूमि 14.5025 हे० का सन् 1356 फसली में Possession (कब्जा) व 1359 फसली के अभिलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 22 की जाँच के उपरान्त टाइम लाइम के बिन्दु सं० 2 के अनुपालन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24 एवं 25 की अग्रोत्तर कार्यवाही नियमानुसार समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
संलग्नक- यथोपरि।


जिलाधिकारी,
आगरा।
०५

पत्रांक:- 621 /10-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
आगरा।
०५


11-09-25

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
आगरा।

विषय :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ0ए0 संख्या 529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

- 1- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा का पत्रांक 3057/एस0टी0-प्रशासन दिनांक 11-09-2025
- 2- कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा का पत्रांक 620/10-1 आगरा दिनांक 04.09.2025
- 3- अधिकशासी अभियन्ता लोअर खण्ड, आगरा नहर, का पत्र संख्या 2636/लोअर/कीठम दिनांक 20.06.2025

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 3057/एस0टी0-प्रशासन दिनांक 11-09-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जांच कर स्पष्ट संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सन्दर्भ में तहसील किरावली से जांच करायी गयी तथा तहसील किरावली की उक्त जांच आख्या एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा का पत्रांक 620/10-1 आगरा दिनांक 04.09.2025 के आधार पर संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-
सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा-18 की अधिसूचना दिनांक 27-12-2024 (संलग्नक-1) के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

वन खण्ड-1

गाटा सं0	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949हे0

वन खण्ड-2


गाटा सं0	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे0

वन खण्ड-3

गाटा सं0	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे0

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे0)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे0



 Ri

सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की बन्धजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 की उदघोषणा दिनांक 24-04-2025 (संलग्नक-2) के तहत मांगी गयी आपत्ति के क्रम में सिंचाई विभाग अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा को प्रेषित पत्रांक 2636/लोअर/कीठम/दिनांक 20.06.2025 (संलग्नक-3) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रमुख बिन्दु निम्नवत् इंगित किया गया है-

बिन्दु सं० 01 -


"सहायक अभियन्ता-प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा द्वारा अपने पत्रांक-837/दिनांक 17.06.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार विज्ञप्ति में उल्लिखित सरकारी भूमि में सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	गाटा सं०	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हे० में	भूमि स्वामी का नाम
1	04	रूनकता	0.350	बन्ध स्केप मिलिकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
2	01	रूनकता	0.599	गन्दी नाला मिलिकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
3	99	चौमा फरह	0.691	रजवाह निकास पानी मिलिकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
4	101	चौमा फरह	12.795	बन्ध स्केप मिलिकियत सरकार (सिंचाई विभाग)
	कुल योग		14.4350	कुल क्षेत्रफल 92.2920 हे०

बिन्दु सं० 02 - "अवगत कराना है कि आगरा मुख्य नहर की टेल (कि.मी 160.00) से निकलने वाली कीठम स्केप से जल सूर सरोवर पक्षी विहार के अन्तर्गत निर्मित कीठम झील के माध्यम से होते हुए यमुना नदी में जाता है। आगरा नहर प्रणाली की सुरक्षा हेतु कीठम स्केप, कीठम झील एवं कीठम स्लूयस का स्वामित्व सिंचाई विभाग का होना अत्यन्त आवश्यक है।"

बिन्दु सं० 01 के सम्बन्ध में तहसील स्तर से राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त यह तथ्य पाया गया कि उक्त भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग की ना होकर एस०एच० 45 व खतौनी (संलग्नक-4) के अनुसार मिलिकियत सरकार है। इसलिए सिंचाई विभाग के आपत्ति के बिन्दु सं० 01 में उल्लिखित यह तथ्य की यह भूमि सिंचाई विभाग की है का दावा सही नहीं पाया गया है।

बिन्दु सं० 02 के सम्बन्ध में कार्यालय उप वन संरक्ष, राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक 620/10-1 आगरा दिनांक 04.09.2025 (संलग्नक-5) द्वारा अवगत कराया गया है कि, "सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित झील से मथुरा रिफाइनरी को विगत तीस वर्षों से भी अधिक समय से पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में जारी NBWL की अनुमति में भी झील का स्तर प्रतिवर्ष नवम्बर से मार्च तक प्रवासी पक्षियों के अनुकूल रखने का उल्लेख है। कीठम झील (सूर सरोवर) का जल स्तर वर्ष पर्यन्त 19 फीट रखे जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं०-2 में वर्णित है कि "उपवन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट उ०प्र० आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया जिसमें मथुरा रिफाइनरी, सिंचाई विभाग एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी सूर सरोवर पक्षी विहार की उपस्थिति में यह सहमति बनी थी कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी पक्षियों के प्रवास की अवधि (नवम्बर-फरवरी तक) झील का स्तर 18 से 19 फीट के बीच रखा जाएगा तथा इस हेतु रिफाइनरी प्रबन्धन सिंचाई विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजेगा।" वर्तमान में भी सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित स्लूयस गेट का संचालन एवं रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है जिसका उपयोग मथुरा रिफाइनरी को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने तथा प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत झील के स्तर को उचित बनाये रखने में किया जाता है।" अतः सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित स्लूयस गेट का संचालन एवं रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा मथुरा रिफाइनरी को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने तथा प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने के लिए किये जाने के सम्बन्ध में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।



उपरोक्त आधार पर सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व सम्बन्धी दावा बलहीन है। अतः सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 की उद्घोषणा में कोई बाधा नहीं है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-25 की अपेक्षित कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।



लेखपाल
चौमा फरह



लेखपाल
रुनकता



राजेश्वर निशद
रुनकता



वन दरगा
सूर सरोवर पक्षी विहार



क्षेत्रीय वनाधिकारी
सूर सरोवर पक्षी विहार



नायब तहसीलदार
अछनेरा



तहसीलदार
किरावली, आगरा



वन्य जीव प्रतिपालक
राष्ट्रीय चंबल सैक्युरी प्रोजेक्ट
इटावा



जुम्हिलाधिकारी
किरावली, आगरा

पत्रांक - 3774/ST

15-09-2025

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-18 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उ०प्र० द्वारा अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27.12.2024 द्वारा वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जन्तु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणि विज्ञान सम्बन्धी महत्त्व के कुल 14.5025 हे० में फैली सरकारी भूमि, जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित करने के आशय से घोषित किया गया है।

आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का विवरण निम्नवत् है:-

सीमा विवरण

“सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य” में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

- उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी
- पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03
- दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04
- पश्चिम-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

- उत्तर-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101
- पूर्व-ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103
- दक्षिण-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
- पश्चिम-ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

- उत्तर-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18
- पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76
- दक्षिण-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
- पश्चिम-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण-

वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
	कुल योग	0.949 हे०

वन खण्ड-2		क्षेत्रफल (हे०)
गाटा सं०	ग्राम	
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०

वन खण्ड-3		क्षेत्रफल (हे०)
गाटा सं०	ग्राम	
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०

क्षेत्रफल का कुल योग		क्षेत्रफल (हे०)
वन खण्ड	ग्राम	
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 की उद्घोषणा पत्रांक 2126/10-1 आगरा, दिनांक 24.04.2025 द्वारा प्रकाशित करते हुए सर्व साधारण से आपत्ति या स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो उद्घोषणा प्रकाशित तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु उद्घोषणा किया गया था। दावे प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय दिया गया था तथा यह अवधि दिनांक 24.06.2025 को समाप्त हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में तहसील स्तर पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित स्लूयस गेट का संचालन एवं रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है जिसका उपयोग मथुरा रिफाइनरी को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने तथा प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत झील के स्तर को उचित बनाये रखने में किया जाता है।

अतः सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की सीमाएँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 18 से 24 तक की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् निम्न प्रकार है-

सीमा विवरण

“सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य” में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी

पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03

दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101

पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

529

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम
रूनकता की गाटा सं०-18
पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अन्तर्गत वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

वन खण्ड-1		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949 हे०

वन खण्ड-2		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486 हे०

वन खण्ड-3		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675 हे०

क्षेत्रफल का कुल योग		
वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०


जिलाधिकारी,
आगरा

टीपें और आज्ञाएं

जिलाधिकारी, आगरा।

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 529/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के बिन्दु सं0-02 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 की कार्यवाही के अर्न्तगत क्रमशः उपरोक्त सरकारी भूमि के समस्त अधिकारों का अर्जन कर सरकारी भूमि को सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा, के नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जानी है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 की कार्यवाही हेतु अधिनियम में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है -

"24. अधिकारों का अर्जन-(1) धारा 19 में निर्दिष्ट किसी भूमि में या उसके बारे में, किसी दावे की दशा में, कलेक्टर उसको पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या नामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा। (2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर लिया जाता है तो कलेक्टर,-

(क) प्रस्थापित अभ्यारण्य की सीमाओं में ऐसी भूमि का अपवर्जन कर सकेगा, या

(ख) ऐसी भूमि को या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारी, सिवाय वहाँ के जहाँ किसी ऐसी भूमि के स्वामी या ऐसे अधिकारों के धारक और सरकार के बीच किसी करार द्वारा वह स्वामी या ऐसे अधिकारों का धारक आपने अधिकार सरकार को अभ्यर्पित करने के लिए सहमत हो गया है और ऐसा प्रतिकर, जैसा कि '[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2023 का 30)] में उपबंधित है, संदत्त करके अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा, या

१(ग) मुख्य वन्य जीव संरक्षक के परामर्श से अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का जारी रहना अनुज्ञात कर सकेगा।"

"25. अर्जन कार्यवाहियां--(1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के प्रयोजन के लिए-

(क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो '[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के अधीन कार्यवाही कर रहा है;

(ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की १[धारा 21] के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है;

(ग) उस अधिनियम की १[धारा 21] से पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है;

(घ) जहाँ दावेदार प्रतिकर के सम्बन्ध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वह उसकी बाबत यह समझा जाएगा की वह उस अधिनियम की 3[धारा 64] के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के 4 [अध्याय 8] के उपबन्ध के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा;

(ङ) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से 5 [या प्राधिकरण] दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में दे सकेगा; और

(च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के रोके जाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी अनुकूल्यक लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

कर सकेगा।

कार्यालय :
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल
सँव्युरी
प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

⁶ [स्पष्टीकरण- खंड (ड) में निर्दिष्ट "प्राधिकरण" पद से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है।]

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

⁷ [25क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमा-(1) कलेक्टर, धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।

(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होगी।]

उक्त धाराओं में क्रमशः कलेक्टर को अधिकारों का अर्जन एवं अर्जन कार्यवाहियों की शक्तियां प्राप्त है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-18 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उ०प्र० द्वारा अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27.12.2024 द्वारा वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जन्तु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणि विज्ञान सम्बन्धी महत्व के कुल 14.5025 हे० में फैली सरकारी भूमि, जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित करने के आशय से घोषित किया गया है।

आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का विवरण निम्नवत् है:-

सीमा विवरण

"सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य" में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी

पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03

दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101

पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे०
सरकारी भूमि का विवरण-

532
वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

वन खण्ड-3

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे०

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 की उदघोषणा पत्रांक 2126/10-1 आगरा, दिनांक 24.04.2025 (संलग्नक-1) द्वारा प्रकाशित करते हुए सर्व साधारण से आपत्ति या स्वत्व अधिकार (सीमा व प्रकृति सहित) या व्यवधान अन्तर्निहित हो तो उदघोषणा प्रकाशित तिथि से दो माह की अवधि में मय क्षतिपूर्ति/अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु उदघोषणा किया गया था। दावे प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय दिया गया था तथा यह अवधि दिनांक 24.06.2025 को समाप्त हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में तहसील स्तर पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

उक्त के क्रम में सिंचाई विभाग अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर आगरा द्वारा अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) आगरा को प्रेषित पत्रांक 2636/लोअर/कीठम/दिनांक 20.06.2025 (संलग्नक-2) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसपर तहसील एवं वन विभाग की अधिकारियों/कर्मचारियों की संयुक्त आख्या पत्रांक 3774/ST दिनांक 15.09.2025 (संलग्नक-3) से प्राप्त की गयी तथा उक्त आख्या से स्पष्ट हुआ कि सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व सम्बन्धी दावा बलहीन पाया गया। कार्यालय उपवन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा का पत्रांक 620/10-1 आगरा दिनांक 04.09.2025 (संलग्नक-4) द्वारा यह बताया गया कि सूर सरोवर पक्षी विहार अन्तर्गत स्थित स्लूयस गेट का संचालन एवं रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है जिसका उपयोग मथुरा रिफाइनरी को पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने तथा प्रवासी पक्षियों को अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत झील के स्तर को उचित बनाये रखने में किया जाता है।

अतः सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की सीमाएँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 18 से 24 तक की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् निम्न प्रकार है-

सीमा विवरण

"सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य" में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी
पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03
दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101
पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18
पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अन्तर्गत वन्य जीवों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार और विकास के उद्देश्य से सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण निम्नवत् है-

वन खण्ड-1		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
	कुल योग	0.949 हे०
वन खण्ड-2		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
	कुल योग	13.486 हे०
वन खण्ड-3		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
	कुल योग	0.0675 हे०


क्षेत्रफल का कुल योग		क्षेत्रफल (हे०)
वन खण्ड	ग्राम	0.949
1	रूनकता	13.486
2	चौमा फरह	0.0675
3	रूनकता	14.5025
	कुल योग	14.5025 हे०

उपरोक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24(1) के आदेश सम्बन्धी उद्घोषणा किये जा सकने में कोई विधिक बाधा नहीं है तथा संस्तुति सहित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
अतः सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24(1) के आदेश सम्बन्धी उद्घोषणा का आलेख पत्रावली में दाहिनी तरफ संलग्न है तथा सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


संलग्नक:- यथोपरि।
दिनांक-16.09.2025


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा


वन्यजीव प्रतिपालक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी इटावा


अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
आगरा


उप वन निरीक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा



कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), आगरा

संख्या 20 / डी0जी0सी0आर0

दिनांक : सितम्बर 18 , 2025

विषय:

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 के वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 व 25 के अन्तर्गत उक्त सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम आगरा के नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में अभिमत का प्रेषण।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),

आगरा।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के नोटिंग साईड पृष्ठ पर पृष्ठांकित अपने आदेश दिनांक 17.09.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण कर अभिमत चाहा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन/अवलोकन कर परीक्षण किया गया, जिससे विदित है कि जनपद आगरा की ग्राम चौमा फरह के नौन0जैड0ए0 क्षेत्र की मुहाल मिलिकियत सरकार के खसरा संख्या 99 क्षेत्रफल 3-0-0 वीघा (0.6910 हे0) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या 101 क्षेत्रफल 400-8-0 वीघा (92.2920 हे0) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन0जैड0ए0 क्षेत्र की मुहाल मिलिकियत सरकार के खसरा संख्या 1 क्षेत्रफल 2-12-0 वीघा (0.599 हे0) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 529-7-0 वीघा (121.961 हे0) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन0जैड0ए0 क्षेत्र की मुहाल मिलिकियत सरकार के खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 4-5-0 वीघा (0.980 हे0) पर श्रेणी-15(2) अन्तर्गत सर्विस रोड के नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 भूमि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 व 25 के अन्तर्गत हस्तांतरण किये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाना समीचीन होगा। तदनुसार अभिमत प्रेषित है।


(अशोक कुमार चौबे)

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)
आगरा।

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत उक्त सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के नाम हस्तांतरण प्रस्ताव

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 529/2023 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के बिन्दु सं०-02 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 की कार्यवाही के अर्न्तगत क्रमशः उपरोक्त सरकारी भूमि के समस्त अधिकारों का अर्जन कर सरकारी भूमि को सूरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम आगरा, के नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जानी है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि के अर्जन के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24(1) की उद्घोषणा जिलाधिकारी आगरा द्वारा दिनांक 16.09.2025 (संलग्नक -1) को की गयी है। अतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के नाम कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित किया जाना है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-25 की कार्यवाही हेतु अधिनियम में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है -

"25.अर्जन कार्यवाहियां--(1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के प्रयोजन के लिए-

क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो '[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के अधीन कार्यवाही कर रहा है, (ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की '[धारा 21] के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है, (ग) उस अधिनियम की '[धारा 21] से पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है,

(घ) जहां दावेदार प्रतिकर के सम्बन्ध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा की वह उस अधिनियम की 3[धारा 64] के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के 4 [अध्याय 8] के उपबन्धों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा,

(ङ) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से 5 [या प्राधिकरण] दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में दे सकेगा, और

(च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के रोके जाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी अनुकूल्यक लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

6 [स्पष्टीकरण- खंड (ङ) में निर्दिष्ट "प्राधिकरण" पद से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है।]

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

7 [25क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमा-(1) कलेक्टर, धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।

(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होगी।]

आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा -24(1) के संबंध में जिलाधिकारी, आगरा की उद्घोषणा दिनांक 16.09.2025 के अनुसार उक्त भूमि का विवरण निम्नवत् है-

सीमा विवरण
"सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य" में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी
पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03
दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101
पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18
पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण-

वन खण्ड-1		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	
01	रूनकता	0.350
कुल योग		0.599
		0.949 हे०

वन खण्ड-2		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	
101	चौमा फरह	0.691
कुल योग		12.795
		13.486 हे०

वन खण्ड-3		
गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	
कुल योग		0.0675
		0.0675 हे०

कमरा..... 3

Ay

Arul

क्षेत्रफल का कुल योग		
वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025 हे०

ग्राम चौमा फरह के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-99 क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा (0.6910 हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या-101 क्षेत्रफल 400-8-0 बीघा (92.2920 हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) में बन्ध स्केप के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

ग्राम रूनकता के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-1 क्षेत्रफल 2-12-0 बीघा (0.599 हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या-4 क्षेत्रफल 529-7-0 बीघा (121.961 हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा (0.98 हे०) पर श्रेणी 15(2) अन्तर्गत सर्विस रोड के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक -2)

उपरोक्त के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), आगरा से अभिमत प्राप्त किया गया। उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 20/डीसीसीआर दिनांक 18-09-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि "उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन/अवलोकन कर परीक्षण किया गया, जिससे विदित है कि जनपद आगरा की ग्राम चौमा फरह के नौन० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 99 क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा-(0.6910 हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15 (1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या 101 क्षेत्रफल 400-8-0 बीघा (92.2920 हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 1 क्षेत्रफल 2-12-0 बीघा (0.599 हे०) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 529-7-0 बीघा (121.961 हे०) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा (0.980 हे०) पर श्रेणी-15(2) अन्तर्गत सर्विस रोड के नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० भूमि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 व 25 के अन्तर्गत हस्तांतरण किये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाना समीचीन होगा।"

अतः उपरोक्त के आधार पर सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत उक्त सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के नाम हस्तांतरण प्रस्ताव अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


जिलाधिकारी,
आगरा

Amw

Amw

कार्यालय :
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल
सैकुरी
प्रोजेक्ट, उ०प्र०,
आगरा।

टीपें और आज्ञाएं

जिलाधिकारी, आगरा।


सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 529/2023 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के बिन्दु सं०-02 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 की कार्यवाही के अर्न्तगत क्रमशः उपरोक्त सरकारी भूमि के समस्त अधिकारों का अर्जन कर सरकारी भूमि को सूरसरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम आगरा, के नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जानी है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि के अर्जन के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24(1) की उद्घोषणा जिलाधिकारी आगरा द्वारा दिनांक 16.09.2025 (संलग्नक -1) को की गयी है। अतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम, आगरा के नाम कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित किया जाना है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-25 की कार्यवाही हेतु अधिनियम में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है -

"25.अर्जन कार्यवाहियां-(1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के प्रयोजन के लिए-

- क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो ¹[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के अधीन कार्यवाही कर रहा है;
- (ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की ²[धारा 21]के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है;
- (ग) उस अधिनियम की ²[धारा 21]से पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है;
- (घ) जहां दावेदार प्रतिकर के सम्बन्ध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा की वह उस अधिनियम की ³[धारा 64]के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के ⁴[अध्याय 8]के उपबन्धों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा;
- (ङ) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से ⁵[या प्राधिकरण] दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में दे सकेगा; और
- (च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के रोके जाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी अनुकूल्यक लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

⁶[स्पष्टीकरण- खंड (ङ) में निर्दिष्ट "प्राधिकरण" पद से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है।]



(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

⁷ [25क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमा—(1) कलेक्टर, धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।
(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होगी।]

आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा -24(1) के संबंध में जिलाधिकारी, आगरा की उद्घोषणा दिनांक 16.09.2025 के अनुसार उक्त भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

सीमा विवरण

“सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य” में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है:-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी
पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03
दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612


वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101
पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18
पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76
दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा
पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

  S. Kumar





सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण—

वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रुनकता	0.350
01	रुनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

वन खण्ड-3

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रुनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रुनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रुनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे०

ग्राम चौमा फरह के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिल्कियत सरकार के खसरा संख्या-99 क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा (0.6910हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या-101 क्षेत्रफल 400-8-0 बीघा (92.2920हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) में बन्ध स्केप के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

ग्राम रुनकता के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिल्कियत सरकार के खसरा संख्या-1 क्षेत्रफल 2-12-0 बीघा (0.599हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या-4 क्षेत्रफल 529-7-0 बीघा (121.961हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रुनकता के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिल्कियत सरकार के खसरा संख्या-18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा (0.98हे०) पर श्रेणी 15(2) अन्तर्गत सर्विस रोड के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक -2)




अतः सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है एवं पत्र पत्रावली में दाहिने तरफ संलग्नक है, सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहे।


संलग्नक-यथोपरि।
दिनांक-17.09.2025


लेखपाल
रुनकता


लेखपाल
चौमा फरह


राजरज निरीक्षक
रुनकता


वन दरोगा
सूर सरोवर पक्षी
अभ्यारण



क्षेत्रीय वनाधिकारी
सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण


नायाब तहसीलदार
अछनेरा


तहसीलदार
किरावली


वन्यजीव प्रतिपालक
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
इटवा


उप-जिलाधिकारी
किरावली



अपर जिलाधिकारी
(प्रशासन),
आगरा


उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी
प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा

महोदय,
जिमा बातनीय अधीकरणता (राज्य) आगरा से विद्युत
अकिमत प्राप्त किया गया उक्त को पत्र पत्रांक संख्या
20/डीडी आ० दिनांक 18/09/25 पत्रावली पर संलग्न
है। उक्त के क्रम में प्रस्ताव को स्वीकृति देते

शासनको प्रेषित किया जाना उचित होगा। सहमत
की दशा में हस्तांतरण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना चाहे।


अपर जिलाधिकारी,
आगरा


अपर जिलाधिकारी

543

नाजरी-नाया

जमात: नं० ३३, १०१
श्रीलाला-दीन कृष्ण
श्रीलाला सि, १११११
जिला जयपुर



101

33

[Signature]

०३/०५/२०१४

नाजरी-नाया जमात नं० ३३, १०१
श्रीलाला-दीन कृष्ण

Scanned with OKEN Scann

પ્રતિલિપિ ચર્ચાની
 (જાણી ખાતેના નામ, પદો ની)
 નામ મુજબ મિત્રીમત સરકારી પામી યામાકરકે 110000 મિત્રીમત મિત્રીમત મિત્રીમત
 રામ મિત્રીમત - 10 (432) મિત્રીમત મિત્રીમત

જાતા જાતીની ક્રમ સંખ્યા	પામ વ્યવસ્થાકર નમ પિતા/પતિ થા પામ ન નિવાસ	મુદત કારક	જાતા મગર	સંપર્ક ક્રમ	સમાન		મિત્રીમત
					સમાન	મિત્રીમત સમાન ક્રમ	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	શાંતી 150 વ-દ્ય લોક	-	101	92272	-	-	મિત્રીમત
3	રજવાદ મિત્રીમત પામી	-	99	06910	-	-	મિત્રીમત

મિત્રીમત મિત્રીમત મિત્રીમત
 10/05/25
 મ. મિત્રીમત

को. १० धारा-११ '२२
(नियम ६७)

को. १० धारा-११ (१) के अन्तर्गत धारा १० के अन्तर्गत मसूदा नं. ११ की

अंश **विभागापरत** का मसूदा नं. ११ के अन्तर्गत मसूदा नं. ११ की

क्र. सं.	विवरण	म. सं.	म. सं.	म. सं.	म. सं.
१	अंश १५ - अक्षीयण भूमि (१) जलमयन भूमि				
२	बन्ध स्वयं	१०९	१६०१३		
३	रजवाह निवास पत्नी मांग अंश १५ (१)	६६	३		
४	सड़क रेल	१०	३११३		
५	सड़क पुरस्ता	१२	३११४		


१५(३) स्थल सड़क रेल मयन और सस्ता भूमिया जो अक्षीयण
उपयोग के लिये काम में लाई जाती है।

(Handwritten signature)

जो सं. आकार-गम ४१
(विषय २१)

प्रसंगिक सारदा (सारा प्रमाणित)

क्र. सं.	वेक्टर	प्रसंगी संख्या	वेक्टर	नई लागू मतीरी संख्या	विशेष वर्णनाम की प्रतिलिपि (Soil class)	दिनांक	प्रति संख्या
१०१	४६०१३	२४०	४०१३	२	-		६५५५५५
१०२	५४	३४२	५४	१०	मं.सं.पं.२		५५
१०३	११५५	२४०	१५५	१	-		५५५५५५
		३४४	५५		मं.सं.पं.२		
		३४३	५५		मं.सं.पं.२		
		३४२	५५		मं.सं.पं.२		
		३४१	५५		मं.सं.पं.२		
		३४१	५५		मं.सं.पं.२		
		३४२	५५		-		
		३४०	५५		मं.सं.पं.२		
		४१२०	४१२०	४३	मं.सं.पं.२	५५५५५५	
		५५५५५५	५५५५५५		प्रमाणित	५५५५५५	५५५५५५



२०६५
१०१३२०

५५५५५५ के द्वारा ५५५५५५ के द्वारा ५५५५५५ के द्वारा
५५५५५५ के द्वारा ५५५५५५ के द्वारा ५५५५५५ के द्वारा

R. K. P.

जो० च० जाकार-गत्र ७।
(विभाग ६।)


सामग्रीक चारा (चारा-सुधारक)

नई संख्या	वेवस्था	पुरानी संख्या	वेवस्था	नई संख्या संकीची संख्या	विषय वस्तु (Soil class)	मिचरक मंजूर	दिनांक
		२४५१२	७१			आसन्नित	
६६	७३	२३८१२	७३	६९	६९		७३
६६	७३	२४९	७२	७१	७१		७३
६६	७३	२४२	७२				७३
६६	७३	२४५२	७४	७४	७४		७३
६६	७३	२४३	७१	७१	७१		७३
		२४६	७२				
६६	७३	२४५१२	७१				७३
		२४६	७१				
		२४५	७०				७३

संख्या ६६७१०० (६६) २४५

नगरी नक्शा 15
संवत् २०७५ से १, ५, १०

जमुगाडी स्थित ग्राम - कनकदा नदी किनारी
जवपद - कागाडा



Note: जवसय हेतु (अनुनामा) जे परचित वदीप


 03/04/2025

 03/05/2025

नाम मुद्रित लिखित सहायता

प्रतिलिपि खतीनी

(नवी कविता संग्रह, नवी ३)

किसकता

राज्यीय किरावली

जिना माण

नाम किरावली - ३ 1432 ध्याती म

खतीनी क्रम संख्या	नाम फारफार नय पिता/पति का नाम व निवात	मुद्रयत फारफ	छारा नगर	दीप्रफल	समान		विवरण
					नकदी	जिन्ती समान का नकदम गुना	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रेणी 15(1) :- बन्ध स्केप	-	4	121.961	-		52
2	गन्दी नाला	-	1	0.599	-		21
5	श्रेणी 15(2) :- श्रमिकां जो जाती हैं - सर्विस शेड	-	18	0.9800	-		81
							सहकारी कार्य हेतु जारी

नाम मुहलत मिच्छिपत सभका/प्राप्त
 प्रतिनिधि खतीनी
 (जहाँ खतीनी नाग, नही तै)
 कसनकता
 गणरीस किरावली
 जिला आगरा
 राम गवली - 1932, 1941 तक

खतीनी क्रम संख्या	नाग फारतपार भव पिता/पति का नाग व निवास	गुरपत फारत	खतरा भारत	दोस्त फल	समान		किरण
					गणरीस	जिनती समान का गणरीस मूल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रेणी IS(1) :- बन्ध स्केप	-	4 ✓	121.961	-		5290
2	गन्दीनाला	-	1 ✓	0.599	-		2112
5	श्रेणी IS(2) :- भूमियां जो अकृषिक उपयोग के काम में लायी जाती हैं - सर्विस रोड	-	18 ✓	0.9800	-		81
							संशुद्धि कार्य हेतु जारी 03/0

५५७

पो० न० कागद नम ५१
(विषय २१)
सुप्रीम कोर्ट (सर्वे सुप्रीम कोर्ट)

५६
मंत्र संसदीय


नं० बंला	वेरक	प्राप्ति बंला	धरणा	मती धरणा प्राप्ति बंला	रिजि० कबोवाप की भूमि नं० की (Soil Class)	विचारा का/काल	स्थिति विवरण
५७	५५५	२४	५५५	५७१			जंगलगत
		२५	५५५		वि० नं० ५०		
		२६	५५५		वि० नं० ५०		
		२७	५५५		वि० नं० ५०		
		२८	५५५		वि० नं० ५०		
		२९	५५५		वि० नं० ५०		
		३०	५५५		वि० नं० ५०		
		३१	५५५				
		३२	५५५				
		३३	५५५				
		३४	५५५				
	५५५	३५	५५५				सर्व
	५५५	३६	५५५		वि० नं० ५०		असिंचित
		३७	५५५				
		३८	५५५				
		३९	५५५				
		४०	५५५				
		४१	५५५				
		४२	५५५				
		४३	५५५				
		४४	५५५				
		४५	५५५				
		४६	५५५				
		४७	५५५				
		४८	५५५				
		४९	५५५				
		५०	५५५				

मंत्रालय के द्वारा प्रेषित
विषय सूचना—सूचना ५ नं० प्रतीने विचार हो जाने पर भरा जायगा।
१९९९—सूचना—१९९९/५५५ २१/९९-९९-(१००००००)

15 नजरी नव-शु कावा जपल से 1, 4, 18

जमुनाजी

स्थित ग्राम - कुनवला तहसील किशवली
जपल - कावा



Note: जवसुग लेखना (गदीनाला) मे प्रदर्शित जमीनी

EW 03/04/2025

EW 03/05/2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ

ई-मेल:- revenuesec.1@gmail.com

विषय:- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत उक्त सरकारी भूमि 14.5025 हे0 को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थाकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 529/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के विन्दु सं0-02 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 की कार्यवाही के अर्न्तगत क्रमशः उपरोक्त सरकारी भूमि के समस्त अधिकारों का अर्जन कर सरकारी भूमि को सूरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम आगरा, के नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जानी है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 सरकारी भूमि के अर्जन के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24(1) की उद्घोषणा जिलाधिकारी आगरा द्वारा दिनांक 16.09.2025 को की गयी है। अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम, आगरा के नाम कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित किया जाना है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-25 की कार्यवाही हेतु अधिनियम में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है -

"25.अर्जन कार्यवाहियां-(1) ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के प्रयोजन के लिए-

(क) कलेक्टर, ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा, जो '1[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के अधीन कार्यवाही कर रहा है;

(ख) दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और उस अधिनियम की 2[धारा 21]के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है;

(ग) उस अधिनियम की 2[धारा 21]से पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है;

(घ) जहां दावेदार प्रतिकर के सम्बन्ध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा की वह उस अधिनियम की 3[धारा 64]के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, और वह उस अधिनियम के 4 [अध्याय 8]के उपबन्धों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा;

(ङ) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से 5 [या प्राधिकरण] दोनों पक्षकारों की सहमति से, प्रतिकर, भूमि के या धन के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में दे सकेगा; और

(च) किसी लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के रोके जाने की दशा में, कलेक्टर, राज्य सरकार की पूर्व मजूरी से, यावत्साध्य या सुविधानुसार किसी अनुकूल्यक लोक-मार्ग या सामान्य चरागाह के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

⁶ [स्पष्टीकरण- खंड (ड) में निर्दिष्ट "प्राधिकरण" पद से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है।]

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन के लिए अर्जन है।

⁷ [25क. अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमा-(1) कलेक्टर, धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथासंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा।

(2) यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होगी।]

आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा -24(1) के संबंध में जिलाधिकारी, आगरा की उद्घोषणा दिनांक 16.09.2025 के अनुसार उक्त भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

सीमा विवरण

"सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य" में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० क्षेत्र का सीमा विवरण यथा निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

उत्तर-ग्राम सींगना की यमुना नदी

पूर्व-ग्राम रूनकता की गाटा सं०-03

दक्षिण-सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-04

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-610, 611 एवं 612

वन खण्ड-2

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-101

पूर्व- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-103

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम चौमा फरह की गाटा सं०-79 व 80

वन खण्ड-3

उत्तर- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे० में सम्मिलित ग्राम रूनकता की गाटा सं०-18

पूर्व- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-29, 30 एवं 76

दक्षिण- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 की सीमा

पश्चिम- ग्राम रूनकता की गाटा सं०-17

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित 14.5025 हे० सरकारी भूमि का विवरण-

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

वन खण्ड-3

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे०

ग्राम चौमा फरह के नान०जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-99 क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा (0.6910हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या-101 क्षेत्रफल 400-8-0 बीघा (92.2920हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी 15(1) में बन्ध स्केप के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

ग्राम रूनकता के नान०जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-1 क्षेत्रफल 2-12-0 बीघा (0.599हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या-4 क्षेत्रफल 529-7-0 बीघा (121.961हे०) श्रेणी 15(1) अन्तर्गत बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नान० जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या-18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा (0.98हे०) पर श्रेणी 15(2) अन्तर्गत सर्विस रोड के नाम अंकित है। सी०एच० 45 व खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व),आगरा से अभिमत प्राप्त किया गया। उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 20/डीसीसीआर दिनांक 18-09-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि " उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन/अवलोकन कर परीक्षण किया गया, जिससे विदित है कि जनपद आगरा की ग्राम चौमा फरह के नौन०जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 99 क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा-(0.6910हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15(1) जलमग्न भूमि में रजवाहा निकास पानी के नाम अंकित है। खसरा संख्या 101 क्षेत्रफल 400-8-0 बीघा (92.2920 हे०) राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन०जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 1 क्षेत्रफल 2-12-0 बीघा(0.599 हे०) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) गन्दी नाला के नाम अंकित है। खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 529-7-0 बीघा (121.961 हे०) अन्तर्गत श्रेणी-15(1) बन्ध स्केप के नाम अंकित है। ग्राम रूनकता के नौन०जेड०ए० क्षेत्र की मुहाल

✓

मिलिकयत सरकार के खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 4-5-0 बीघा(0.980हे0) पर श्रेणी-15(2) अर्न्तगत सर्विस रोड के नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 भूमि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 व 25 के अर्न्तगत हस्तांतरण किये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाना समीचीन होगा।”

उपरोक्त के आधार पर सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-24 व 25 के अंतर्गत उक्त सरकारी भूमि 14.5025 हे0 को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण, कीठम, आगरा के नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आगरा द्वारा हस्तांतरण प्रस्ताव संलग्न अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्ताक्षरित किया गया है। अतः सादर अनुरोध है कि उक्त सरकारी भूमि 14.5025 हे0 को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के नाम हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया



(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0, आगरा।


पत्रांक:- 780 /10-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी आगरा, को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी किरावली आगरा को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।।



(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0, आगरा।